

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अम्बिकापुर

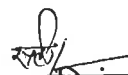
विषय :- जशपुर-जिले के विकासखण्ड-मनोरा अन्तर्गत कांची व्यपवर्तन योजना के निर्माण कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. 2815/कार्य/2018/अम्बिकापुर, दिनांक 26.06.2018

वित्त निर्देश 34/2007 के अनुसार वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 में कार्य विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुक्रमांक 79 (i) का उपयोग करते हुये यह कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार अन्तर्गत जशपुर-जिले के विकासखण्ड-मनोरा अन्तर्गत कांची व्यपवर्तन योजना के निर्माण कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य हेतु ₹ 17.47 लाख (सत्रह लाख सैंतालीस हजार मात्र) से आनाधिक की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

1. कार्य विभाग नियमावली कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3 (बी) एवं 3 (सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत कार्य का पूर्णता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को दिया जावे।
2. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग एक के नियम 10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
3. कार्य की स्वीकृति मांग संख्या 41 लेखाशीर्ष 4702 लघु सिंचाई योजना के सर्वेक्षण ('A' Preliminary Survey Work) के अन्तर्गत दी जाती है।
4. यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. 258/799/वित्त/नियम/चार/2005 दिनांक 27.08.2007 में निहित वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजन के अन्तर्गत दी गई है।
5. कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो।
6. प्राक्कलन कार्यालयीन पंजीयन क्र. 22/प्रशा.स्वी./प्र.अ./ज.सं.वि./2018-19 दिनांक 07.07.2018 में पंजीबद्ध किया गया है।

सहपत्र :- एक प्राक्कलन


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्रमांक 343/बो.प्र./प्रशा.स्वी./प्र.अ./ज.सं./2018/11/8/2 रायपुर, दिनांक 09/07/2018
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव (वित्त) छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी जीरो पाइंट, बलौदाबाजार रोड विधान सभा के सामने रायपुर।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षक) जीरो पाइंट, बलौदाबाजार रोड विधान सभा के सामने रायपुर।
5. अधीक्षण अभियंता (बजट) बजट कक्ष 421 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर
7. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर रायपुर।
8. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर

सहपत्र :- Photo copy of Approved
Estimate for S.No. 8 only.


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

**OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF
WATER RESOURCES DEPARTMENT
CHHATTISGARH, RAIPUR**

GENERAL ABSTRACT

- | | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | Estimate No. | - | 22/B.Cell/AA/E-in-C/WRD/18 Rs. 17.47 Lakhs |
| 2. | Fund | - | Grand No. 41 |
| 3. | Major Head | - | 41/4702 |
| 4. | Minor Head | - | "A" Preliminary Survey work |
| 5. | Department | - | Water Resources Department (C.G.) |
| 6. | Name of Project | - | Survey Work of Kanchi Diversion Scheme |

S.No.	Particulars	Reference	Amount
1	2	3	4
1	Survey Work of Kanchi Diversion Scheme District- Jashpur	As per detailed estimate under sub head 'A' Preliminary submitted by Chief Engineer Hasdeo Ganga Basin Ambikapur vide Memo No. 2815/Work/2018 Ambikapur, Dated 26.06.2018.	17.47 Lakhs
		Total Rs.	17.47 Lakhs

Administrative Approval for Rs. 17.47 Lakhs (Seventeen Lakhs and Forty Seven Thousand) only. Vide Estimate No. 22/B.Cell/AA/E-in-C/WRD/2018-19 Dated 07.07.2018 and chargeable to head "A" Preliminary Survey Work for Kanchi Diversion Scheme District- Jashpur.


Engineer-in-Chief
Water Resources Department
Chhattisgarh, Raipur